प्रशासनिक आदेश संख्याः– 467 /2026 दिनांकः– 05 .11.2026

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रेषित पत्र संख्या– 14518/Admin G-II Dated 27.10.2026 के अनुपालन में, प्रभारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन/अपर जिला जज, कोर्ट संख्या– 01, सीतापुर से आहूत आख्या दिनांकित– 04.11.2026 का अवलोकन किया गया। उक्त आख्या को दृष्टिगत रखते हुए, जनपद न्यायालय, सीतापुर में नियुक्त प्रथम श्रेणी के ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिनके पास पुलिस थानों की अधिकारिता है, को निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्र के प्रकरण में दो वर्ष के पश्चात् रजिस्ट्रार (जीवन एवं मृत्यु) के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रमाण–पत्रों का सत्यापन करने एवं निर्धारित फीस अदा करने के पश्चात् सम्बन्धित प्रमाणपत्र जारी किये जाने हेतु रजिस्ट्रार (जीवन एवं मृत्यु) को आदेशित करेंगे।

सर्व सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

05/11/26

(आशीष जैन)
जनपद न्यायाधीश,
सीतापुर।